

टी0ए0 मिस केस सं0 51/2019-20

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

31/08/19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री बागुन सावैयॉ, पिता- स्व० माटा सावैयॉ, ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफासिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना- 580, खाता नं०- 71, प्लॉट नं०- 1114, रक्वा- 0.10 एकड़ भूमि क्रेता श्री सुरेन्द्र पुरती, पिता- स्व० अखिलेश्वर पुरती, ग्राम- कुन्दुबेड़ा, थाना- मुफासिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता एवं अन्य के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 570, दिनांक- 16.08.2019 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री सुरेन्द्र पुरती, पिता- स्व० अखिलेश्वर पुरती, ग्राम- कुन्दुबेड़ा, थाना- मुफासिल, के पास 4,45,000.00/- (चार लाख पैतालिस हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफासिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.20 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्री बागुन सावैयॉ, पिता- स्व० माटा सावैयॉ, ग्राम- गितिलपी, क्रेता श्री सुरेन्द्र पुरती, पिता- स्व० अखिलेश्वर पुरती, ग्राम- कुन्दुबेड़ा, थाना- मुफासिल अंचल सदर चाईबासा के पास 4,45,000.00/- (चार लाख पैतालीस हजार) रुपये में मौजा- गितिलपी, थाना- 580, खाता नं०- 71, प्लॉट नं०- 1114 रक्वा- 0.10 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ..... अनुमति ..... दी जाती है।

लेखापित।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।